( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 46 / 2017**

**बउनवान**

1. हंसराज उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
2. सत्यनारायण उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
3. सूरजकरण उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
4. ओम प्रकाश उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
5. धनराज उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
6. गीताबाई उम्र 62 वर्ष पुत्री श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
7. विष्णुबाई उम्र 44 वर्ष पुत्री श्री गणपतलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

**बनाम**

1. मधुसुदन उम्र 40 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
2. जगदीश प्रसाद उम्र 37 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
3. हेमराज उम्र 34 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
4. कैलाश प्रसाद उम्र 30 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
5. रामबाबू उम्र 24 वर्ष पुत्र चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
6. रूकमणी बेवा चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
7. मोहनलाल उम्र 75 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी निमोदा तह0 अटरू
8. चन्द्रप्रकाश उम्र 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल ब्राहमण निवासी निमोदा तहसील अटरू
9. महेन्द्र पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी अटरू
10. सुरेन्द्र पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासी अटरू
11. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के आदेश दिनांक 15.04.2015 अन्तर्गत धारा 53 (2) आर.टी.एक्ट की अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (रेस्पो. क्र.1 ता. 8)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्र. 9 व 10)
4– पैरोकार सरकार (रेस्पो. क्र. 11)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 09.2

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के आदेश दिनांक 15.04.2015 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के विभाजन से अप्रसन्न होकर विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 30.08.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम. 1 ता 8 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई ओर रेस्पोडेन्ट क्रम. 9 व 10 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहे। प्रकरण मे अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार, अटरू के आदेश दिनांक 15.04.2015 की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस** प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा आदेश दिनांक 15.04.2015 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के विभाजन मे दो खसरा नम्बरो मे बंटवारा मे बराबर जमीन नही दी।

यह कि ग्राम नीमोदा तहसील अटरू मे खसरा नं0 36 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नं0 43 रकबा 2.65 हैक्टर, खसरा नं0 79 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नं0 82/348 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 7.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 115/386 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 254 रकबा 4.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 255/369 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 259/399 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 30, 32/297, 176 भूमियां स्थित थी। जो राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम शामलाती खाते दर्ज थी।

यह कि विवादित भूमियों मे से केवल मात्र खसरा नम्बर 254 रकबा 4.40 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 113 रकबा 7.51 हैक्टर का ही विवाद है, बाकी नम्बरों मे कोई विवाद नही है तथा यह दोनों नम्बर ही विवादित है, जिनको आगे विवादित नम्बरान के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

यह कि दिनांक 15.4.2015 को पक्षकारान की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विभाजन हेतु एक आवेदन पेश किया गया। जिसमे पक्षकारान के मौके पर कब्जे के अनुसार बंटवारा चाहा था। पटवारी हल्का व तहसीलदार अटरू ने बाकी सब नम्बरों मे बटवारा सही किया। किन्तु खसरा नम्बर 254 का कुल रकबा जो 4.40 हैक्टर है, उसमे से तीनों पक्षकारान को 1/3, 1/3 यानि 1.46 हैक्टर, 1.46 हैक्टर बराबर करना था। किन्तु अपीलांट को मात्र 1.30 हैक्टर दिया गया एवं रेस्पो. क्रम 1 ता 6 को 1.55 हैक्टर तथा रेस्पो. क्रम 7 को 1.55 हैक्टर भूमि दी गयी। इस प्रकार अपीलांट को 0.16 हैक्टर भूमि कम दी गयी, जिसे अपीलांट रेस्पो0 से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अपीलांट के नाम 1.46 हैक्टर रेस्पो0 क्रम 1 ता 6 के नाम 1.47 हैक्टर एवं रेस्पो क्रम 7 के नाम 1.47 हैक्टर दर्ज होनी चाहिये। क्योंकि पक्षकारान का मौके पर इसी अनुरूप कब्जा है। अब जो भूमि अपीलांट के नाम 0.16 हैक्टर भूमि अधिक दर्ज होगी। उस भूमि को अपीलांट अपने खसरा नम्बर 113 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि जो उनको मिली है, उसमे से 0.08 हैक्टर एवं 0.08 हैक्टर रेस्पो. क्रम 1 ता 6 को व रेस्पो0 क्रम 7 को जायेगी। क्योकि मौके पर अनुरूप कब्जा है और इस प्रकार खसरा नम्बर 113 मे अपीलांट के नाम वर्तमान मे 2.80 हैक्टर मे से 0.16 हैक्टर कम होने के बाद 2.64 हैक्टर रह जायेगी एवं रेस्पो. क्रम 1 ता 5 के वर्तमान मे खसरा नम्बर 113 का रकबा जो 0.39 हैक्टर है वह 0.08 हैक्टर बढकर 0.47 हैक्टर दर्ज हो जावेगा। इसी अनुरूप रेस्पो. क्रम 7 के खसरा नम्बर 113 रकबा 4.32 हैक्टर बढकर 4.40 हैक्टर दर्ज हो जावेगी। क्योकि पक्षकारान इसी अनुरूप काबिज चले आ रहे है।

यह कि अपीलांट को आदेश दिनांक 15.04.2015 को जो बंटवारा किया गया। उसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 27.07.2017 को हुयी। जब उसने इस आदेश पर जो इन्तकाल नम्बर 324 ग्राम निमोदा का दिनांक [illegible] को उसकी जानकारी कर नकल निकलवाई जो दिनांक 31.07.2017 को मिली, तब हुयी। क्योकि अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश व कम पढे लिखे व्यक्ति है। इस कारण तारीख जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। इसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार अटरू द्वारा पारित आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:33 IST
Reason: SelfAttested

15.04.2015 मे उक्तरोक्तानुसार संशोधन के आदेश प्रदान करे ताकि पक्षकारान को न्याय प्राप्त हो सके।

**इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक** द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के आदेश दिनांक 15.04.2015 से अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति एवं पूर्व मे काबिज अनुसार ही विभाजन किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही की गई है। भूमि कम या ज्यादा हो सकती है उस समय अपीलांटगण द्वारा देखकर ही हस्ताक्षर किये गये है। यह प्रकरण अपीलांटगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर लगी ट्यूबवैल को हडपने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसी संबंध मे एक परिवाद सिविल न्यायाधीश, अटरू के समक्ष भी अपीलांटगण द्वारा हमारे विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रकरण संख्या 33/2017 है। जो वर्तमान मे जैरकार है। अतः अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

**मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस** सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया जाकर मनन/विश्लेषण किया गया, जिससे पाया गया कि तहसीलदार, अटरू के आदेश दिनांक 15.04.2015 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के विभाजन से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे विभाजन आपसी सहमति से किया गया है। उभयपक्ष के आपसी सहमति बटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो रहे है। उसी के अनुरूप उभयपक्ष उक्त आराजी पर काबिज है। आपसी सहमति से बटवारा प्रकरणों मे आराजी भूमि कम–ज्यादा या अच्छी–बुरी भूमि हो सकती है। उस समय अपीलांटगण द्वारा पढकर अच्छी तरह से समझ कर ही हस्ताक्षर किये जाने चाहिये थे। प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा इस न्यायालय को अवगत करवाया गया है कि यह प्रकरण अपीलांटगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर लगी ट्यूबवैल को अपने स्वामित्व मे लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसी संबंध मे एक परिवाद सिविल न्यायाधीश, अटरू के समक्ष भी अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकरण संख्या 33/2017 है, जो वर्तमान मे जैरकार है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **27.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(बृजमोहन बैरवा)**
**अति0 जिला कलक्टर,**
**बाराँ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 15:30:33 IST
Reason: SelfAttested